Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 174-2025/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 13 अक्तूबर, 2025
(21 आश्विन, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	1. भूमि अर्जन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)।	161
	2. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23)।	163
	3. मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15)।	165
	4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2025 (2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19)। (केवल हिन्दी में)।	167—168
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	Corrigendum dated the 13th October, 2025 in notification No. Leg. 22/2025, dated the 16th September, 2025	31
	THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2025 (HARYANA ACT NO. 21 OF 2025) (Only English)	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2025

संख्या लैज. 8/67.– दि लैन्ड ऐकविजिशन (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1967 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक प्रथम 5 अक्तूबर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

1967 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8

भूमि अर्जन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1967
भूमि अर्जन अधिनियम, 1894,
हरियाणा राज्यार्थ, को संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठाहरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम भूमि अर्जन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1967 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. भूमि अर्जन (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1953 (1954 का पंजाब अधिनियम 2) हरियाणा राज्यार्थ द्वारा यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 28 और धारा 34 में, "चार" शब्द के स्थान पर, "छह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1894 के केन्द्रीय अधिनियम 1 की धारा 28 और 34 का संशोधन।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12172—L.R.—H.G.P., Pkl.